

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1932 (श0)

(सं0 पटना 23) पटना, सोमवार, 31 जनवरी 2011

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं 27 जनवरी 2011

सं० 4 (न) गठ-04/2008-474/न०वि०एवं.आ०वि०—सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं० 10074/2009 नीलम देवी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23 अप्रील 2010 को पारित फैसले के अनुपालन में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा—8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतदद्वारा नगर परिषद, बरौनी (जिला बेगूसराय) के गठन सम्बन्धी नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 1696, दिनांक 20 मई 2009 को बातिल (Annul) करते हैं।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, गिरीश शंकर, सरकार के प्रधान सचिव।

27 जनवरी 2011

सं० 4 (न) गठ-04/2008-474/न०वि०एवं.आ०वि० का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, गिरीश शंकर, सरकार के प्रधान सचिव।

The 27th January 2011

No 4 (N) Ghath-04/2008-475/UD&HD—In Compliance of Hon'ble High Court's Judgement passed on 23rd April 2010 in C.W.J.C No. 10074/2009 Neelam Devi Vs. The State of Bihar and others The Governor of Bihar is, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Bihar Municipal Act, 2007 hereby pleased to annul the notification no.

1696, dated 20th May 2009 relating to constitution of Nagar Parishad, Barauni (Distt-Begusarai) of Urban Development and Housing Department.

2. This notification shall come to force at once.

By order of the Governor of Bihar,
GIRISH SHANKAR,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 23-571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in